लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषयः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ग्राम–गेतरा, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में स्थित गायत्री भूमिगत कोयला खनन परियोजना का विस्तार 0.30 मिलियन टन/वर्ष से 0.88 मिलियन टन/वर्ष के साथ खदान लीज क्षेत्र में वृद्धि 507.472 हेक्टेयर से 616.957 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24/07/2023, समयः अपरान्ह 12:00 बजे से स्थान–ग्रामपंचायत भवन के सामने, उपरपारा, ग्राम–पोड़ी, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ग्राम–गेतरा, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में स्थित गायत्री भूमिगत कोयला खनन परियोजना का विस्तार 0.30 मिलियन टन/वर्ष से 0.88 मिलियन टन/वर्ष के साथ खदान लीज क्षेत्र में वृद्धि 507.472 हेक्टेयर से 616.957 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् लोक सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), सह. एस.डी.एम. सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) श्री नरेन्द्र पैकरा, अपर कलेक्टर, सूरजपुर एवं डॉ0 वर्षा बंसल, तहसीलदार, सूरजपुर, परियोजना प्रस्तावक, ग्रामपंचयायत सम्मानीय सरपंच, जन प्रतिनिधि तथा आसपास के ग्रामवासी की उपस्थिति में दिनांक 24/07/2023, समयः अपरान्ह 12:00 बजे से स्थान–ग्रामपंचायत भवन के सामने, उपरपारा, ग्राम–पोड़ी, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन के साथ आरंभ की गई। लोक सुनवाई प्रारंभ के समय लगभग 300 जनसामान्य उपस्थित हुए तथा लोक सुनवाई के दौरान आरम्भ से समाप्ति तक लगभग 1250 जनसामान्य उपस्थित हुए। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रारंभ के साथ ही उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लोक सुनवाई के दौरान पालन करने बावत् अनुरोध किया गया। साथ ही ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के तहत् आवेदक द्वारा किये गये आवेदन, परियोजना से संबंधित रखे गये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, समरी तथा लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन की जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया कि मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ग्राम–गेतरा, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में स्थित गायत्री भूमिगत कोयला खनन परियोजना का विस्तार 0.30 मिलियन टन/वर्ष से 0.88 मिलियन टन/वर्ष के साथ खदान लीज क्षेत्र में वृद्धि 507.472 हेक्टेयर से 616.957 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली द्वारा टर्म्स ऑफ रिफेरेंस (टी.ओ.आर.) दिनांक 15/11/2022** के परिपालन में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर मे उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक 29/05/2023 के परिपेक्ष्य में मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 09/06/2023 के माध्यम से खदान की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर के पत्र दिनांक 19/06/2023 के द्वारा परियोजना की लोकसुनवाई की **दिनांक 24/07/2023, समयः अपरान्ह 12:00 बजे से स्थान–ग्रामपंचायत भवन के सामने, उपरपारा, ग्राम–पोड़ी, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)** में नियत की गई। परियोजना की ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की प्रतियां तथा सीडी सहित अवलोकनार्थ डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, साईंटिस्ट 'डी', एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), उपसंचालक/खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), सूरजपुर, जिला– सूरजपुर (छ.ग.), सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–गेतरा, पोड़ी, जोबगा, मानी, लैंगा, खुटीया, तह.–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर,

जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी। लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 22/06/2023 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'अमृत इंडिया' के दिल्ली संस्करण एवं दिनांक 23/06/2023 को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' के बिलासपुर संस्करण में परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय देते हुए ''सर्व संबंधितों को सूचना'' का प्रकाशन कराया गया। जिसकी सूचना संबंधित ग्रामपंचायतों को भी प्रेषित की गई।

2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को परियोजना की जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया।

3. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री चंदन चमन, प्रबंधक (खनन) परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई :–

मेसर्स गायत्री भूमिगत खदान, एक सक्रिय खदान है जहां उत्पादन वर्ष 2003 से चालू है। वर्तमान में खदान की स्वीकृत क्षमता 0.30 मिलियन टन/वर्ष है। खदान की प्रस्तावित क्षमता–0.88 मिलियन टन/वर्ष है। यहां जी–5 गुणवत्ता के औसत ग्रेड के कोयले का उत्पादन होता है। गायत्री भूमिगत खदान के विस्तार के क्रम में खदान की परियोजना क्षेत्र का विस्तार 507.472 हेक्टेयर से 616.957 हेक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है। इस विस्तार परियोजना के प्रतिवेदन को एस.ई.सी.एल. बोर्ड की स्वीकृति दिनांक 22.05.2023 को मिली थी। विस्तार परियोजना से संबंधित पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना का प्रारूप रिपोर्ट टी.ओ.आर. के आधार पर सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा बनाया गया।

खदान के महत्वपूर्ण बिंदु

कुल श्रमशक्ति– 628, गर्भ क्षेत्र (कोर जोन) में, गांवों की संख्या– 03 (ग्राम–पोंड़ी, गेतरा, जोबगा), वर्तमान उत्पादन क्षमता 0.30 मिलियन टन/वर्ष, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 0.88 मिलियन टन/वर्ष, वर्तमान क्षेत्रफल 507.472 हेक्टेयर, प्रस्तावित क्षेत्रफल 616.957 हेक्टेयर, खनन क्षेत्रफल 608.407 हेक्टेयर, भू अधिग्रहण से संभावित रोजगार लगभग 250 रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। अब तक 19 रोजगार प्रदान किया गया है।

खदान की प्रस्तावित क्षमता 0.88 मिलियन टन/वर्ष पर उत्पादन हेतु नई तकनीक की उपकरण का इस्तेमाल किया जायेगा।

इस तकनीक के इस्तेमाल से खदान में विस्फोटक का इस्तेमाल समाप्त हो जायेगा और साथ ही विस्फोट से जनित कम्पन उत्पनन नहीं होगा। यह तकनीकी ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होगी।

परियोजना हेतु भूमि का विवरण :–

वन भूमि– 310.268 हेक्टेयर, निजी भूमि– 240.989 हेक्टेयर, शासकीय भूमि–65.70 हेक्टेयर कुल भूमि–616.957 हेक्टेयर

ग्रामवार भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्रामपंचायत–गेतरा, निजी भूमि 15.096 हेक्टेयर, शासकीय भूमि–7.505 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल–22.601 हेक्टेयर

ग्रामपंचायत–पोंडी, निजी भूमि 129.040 हेक्टेयर, शासकीय भूमि–29.315 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल–158.355 हेक्टेयर

ग्रामपंचायत–जोबगा, निजी भूमि 81.743 हेक्टेयर, शासकीय भूमि–27.990 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल–109.733 हेक्टेयर

ग्रामपंचायत–गेतरा, निजी भूमि 15.11 हेक्टेयर, शासकीय भूमि–0.890 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल–16.00 हेक्टेयर

संरक्षित वन– वन भूमि 310.268 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल–310.268 हेक्टेयर

भूमि उपयोग योजना :–

पूर्व खनन भूमि का उपयोग– कृशि भूमि – 168.551 हेक्टेयर, वन भूमि – 310.268 हेक्टेयर, सतही जल निकाय – 0.60 हेक्टेयर, बस्तियों – 66. 618 हेक्टेयर, अन्य सरकारी भूमि– 54.92 हेक्टेयर, सड़कें और खदान अवसंरचना– 7.45 हेक्टेयर, स्टाफ कालोनी– 8.55 हेक्टेयर कुल परियोजना क्षेत्र. 616.957 हेक्टेयर

खदान के बाद भूमि का उपयोग– सड़कें – 7.45 हेक्टेयर, निर्मित क्षेत्र (कोलोनी/कार्यालय) 8.55 हेक्टेयर, अबाधित क्षेत्र–600.957 हेक्टेयर, कुल परियोजना क्षेत्र. 616.957 हेक्टेयर

प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभाव व उनके समाधान

पर्यावरणीय घटक– वायु, **खदान की गतिविधियां**– यातायात, भण्डारण, **प्रभाव**– उच्च धूल क्षमता, उच्च और व्यावसायिक खतरे, **समाधान**– स्थाई सड़कों पर स्वचलित जल छिड़काव प्रणाली और टैंकरों द्वारा पानी के छिड़काव की व्यवस्था तथा कोयला का परिवहन तारपोलिन से ढक कर ट्रकों के माध्यम से किया जाता है और आगे भी किया जायेगा।

पर्यावरणीय घटक– सतही जल, **खदान की गतिविधियां**– खदान के सम्प में एकत्रित जल को पंप आउट करना, **प्रभाव**– खदान के सम्प से निष्कासित जल में कोयले के छोटे कण मौजूद होते हैं, **समाधान**– खदान से निष्कासित जल में मौजूद छोटे कोयले के कण सर्वप्रथम भूमिगत सम्प में बैठ जाते हैं। सरफेस पर दो सेटलिंग पोंड बनाया गया है जिसमें अंतिम सफाई हो जाती है। इसके उपरांत यह जल खदानी उपयोग में लाया जाता है। नियमित अंतराल में खदान से निष्कासित जल के सैंपल लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराये जाते हैं।

पर्यावरणीय घटक– ध्वनि, **खदान की गतिविधियां**– वाहनों की आवाजाही, भारी मशीनरी, **प्रभाव**– रहवासी क्षेत्र में ध्वनि स्तर में वृद्धि, **समाधान**– नियमित अंतराल पर ध्वनि स्तर की निगरानी की जायेगी, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा सड़क के किनारे और कार्यालयों के आसपास हरित पट्टी का अत्यधिक रोपण किया जायेगा।

भू–गर्भीय जल स्तर

स्त्रोत (मॉनिटरिंग स्टेशन–सूरजपुर– मानसून के पहले भू–गर्भीय जल स्तर जमीन से 7.70 मीटर से 9.35 मीटर (औसत 8.30 मीटर) की गहराई में रहता है तथा मानसून के बाद का भू–गर्भीय जल स्तर जमीन से 1.51 मीटर से 7.31 मीटर (औसत 3.86 मीटर) की गहराई में रहता है।

रोजगार

गायत्री भूमिगत खदान के भू–अर्जन से संभावित 250 रोजगार उत्पन्न होना है जिसमें अभी तक 19 रोजगार प्रदान किया गया है।

गायत्री भूमिगत खदान के स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के लिए 86.795 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पीपी द्वारा भूमि अधिग्रहण की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा लोक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा कि पर्यावरण जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासी आप सभी से इस परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव या जो भी विचार रखना चाहते हैं, वे लिखित में या मौखिक तौर पर आप सुझाव, विचार कर सकते हैं आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं।

5. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
01	श्री गिरधारी राम सिंह (सरपंच)	ग्राम–गेतरा	मैं सरपंच, ग्राम पंचायत, गेतरा से गिरधारी राम सिंह आया हूं। सर, गायत्री के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी यहां भूमि अधिग्रहण है, और अपने यहां के किसान केवल कृषि पर निर्भर है,भूमिगत खदान हम देखते है कि साल दर साल प्रतिवर्ष जल स्तर कम होता चला गया है, बहुत बार नौकरी की प्रक्रिया इतनी लम्बी होती है और अपने पास किसान के पास जीवन जीने का कोई साधन ही नहीं होता है। जहां–जहां खदान चल रही है नीचे जो डेम बनी हुई है वहां बोर किया जाये 100–200 मीटर की दूरी पे, ताकि रोजगार होने के बाउजूद भी लोग थोडा–बहुत रोजगार पाते रहे। पहली कम्पनी आई है तब से प्रोडक्शन भी प्रति वर्ष के प्रोडक्शन में, इसलिए हम चाहते है कि प्रभावित क्षेत्र के लोग को प्राथमिकता दिया जाये, चाहे वह तकनिकी क्षेत्र के हो या गैर–तकनिकी क्षेत्र के हो,उनको रोजगार दिया जाना उचित होगा। दूसरा मेरे ग्राम पंचायत के संदर्भ में

			पांच मांगें जो है मैं आवेदन के माध्यम से दे चुका हूं, कृपया उसका अध्ययन करने के बाद पुष्टि करने का प्रयास करेंगें। पहला है कि कि सब एरिया ऑफिस के पास एक नाला है जो काफी नीचली स्तर पर है, बरसात के दिनों में पूल के उपर से पानी जाता है ग्राम के बच्चे आवागमन के साधन न होने की वजह से अवरुद्ध उत्पन्न होता है, तो वहां एक नवीन पूल बनाया जाये। इसके अलावा 25 वर्ष हो चुके है, रेहर को अपने यहां उसके संदर्भ में है कि स्ट्रीट लाईट दिया जाये, अपने यहां कम्पनी की ओर से और पावर भी वहां से सप्लाई किया जाये। यह वन्यजीव से घिरा हुआ गांव है। वन्यजीव जहरीले सरिसृप भी विचरण करते हुए नुकसान पहुंचाये जाते है, इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र के 05 बच्चें को प्रतिवर्ष डी.ए.व्ही. स्कूल में एडमिशन दिलाया जाये। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याऐं है। जोकि आपको पहले भी अवगत किया कराया हूं और जो लंबित प्रकरण है उस पर भी त्वरित कार्यवाही की जाये, तभी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें, हमारे ग्रामीणों को। सर अब यहीं तक बाकी। प्रणाम!
02	श्री रामकेवल	ग्राम–सपकरा	हमारे नजदीकी एस.ई.सी.एल. कोल फिल्ड की सहायता से काफी बच्चे स्कूल जा रहे है। बिश्रामपुर से गेतरा मानी बचरा पोंडी। साथ ही साथ गांव में दवा गोली का वितरण हो रहा है, बीच–बीच में। गांव में बोरिंग हैण्ड पम्प खोदवाया गया है। जिसका भी लाभ ले रहे है। पानी का

			गांव–गांव में सप्लाई किया जा रहा है। रोड में छिडकाव हो रहा है, ताकि धूल से परेशानी का सामना न करना पडे। बस इतना ही बोल रहा हूं। धन्यवाद!
03	श्री जवाहर लाल	ग्राम– मानी चौक	एस.ई.सी.एल. से मेरा ग्रामीण क्षेत्रवासियों को पानी जल ट्रेक्टर से सुविधा दिया जा रहा है। पानी पीने के लिए पंचायत में हैण्डपम्प का सुविधा दिया जा रहा है। एस.ई.सी. एल. द्वारा। ग्राम पंचायत में एस.ई.सी. एल. द्वारा डाक्टरी कैम्प भी लगाया जाता है। ग्रामीण बच्चे को परिवहन स्कूल जाने हेतु बस दिया जाता है। मैं इतना कहता हूं। धन्यवाद!
04	श्री सोमार साय राजवाडे	ग्राम–सपकरा	मैं सोमार साय राजवाडे जो कि सपकरा का रहने वाला हूं। हमारे बच्चे को स्कूल जाने हेतु बस दिया गया है और कभी–कभी डाक्टरों का कैम्प भी लगाया जाता है और कोई–कोई भाई लोग को खदान के माध्यम से ठेकेदारी में मजदूरी का काम भी मिलता है। गावं में रोजगार भी उपलब्ध है। इतना कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
05	श्री चन्देराम	ग्राम–करमपुर	मैं चन्देराम बोल रहा हूं, ग्राम करमपुर से। पहले जैसे हम लोग ठेकेदारी में काम करते थे, तो पैसा लेट से मिलता था। जब कि सीएफ मशीन लगी है, हम लोग को बढियां पैसा मिल रहा है। जब से गांव मे मशीन लगी है तब से हम लोग को काम मिला है। खदान में मशीन लगने से कोयला बढा है, तो आदमी लोग को रोजगार भी मिला है। इतना ही कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

06	श्री संतलाल यादव	ग्राम–सपकरा	मैं संतलाल यादव, ग्राम–सपकरा से बोल रहा हूं। क्षेत्र में खदान खुलने से बहुत लाभ हुआ है, सर। रोड मतलब बच्चे लोग को साधन मिल गया है और बहुत आदमी को रोजगार मिल गया है, बीच–बीच में कैम्प डॉक्टर लोग का लग जाता है, कोई जरुरी पडता है, तो एम्बूलेंस भी मिल जाता है, बुलाने से सर, और पानी छिडकाव भी होता है, सर गलियों में। नमस्ते, सर।
07	श्री चितरंजन	ग्राम–गेतरा	कम्पनी ने गांव में हम लोग को सुविधा दे रहा है। उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पानी पीने के लिए टैंकर घर–घर दे रहा है और बीच–बीच में हैण्डपम्प भी खोदवा दिये है। आने–जाने के लिए बच्चों लोग के लिए बस भी रहता है। एम्बूलेंस की व्यवस्था भी देते है। धन्यवाद!
08	श्री रामदुलार राजवाडे	ग्राम–सपकरा	हैलो! मैं रामदुलार राजवाडे, ग्राम–सपकरा से। एस.ई.सी.एल.के तरफ से हम लोग को बस भी मिला है, लडके–लडकियों को पढ़ाने के लिए और रात में अगर मान लिजिये जरुरत पडता है तो एम्बूलेंस मिल जाता है और रोजगार भी बडा है, एस.ई.सी.एल. अपना गायत्री भूमिगत खदान सीएफ चलने से। ठेकेदार द्वारा काम मिल जा रहा है, ट्रकों में लोकल लोग काम कर रहे है, हैण्डपम्प भी कहीं–कहीं खोदाया है और एस.ई.सी.एल. से हमको कोई तकलीफ नहीं है, बाकी अच्छा काम हमको मिल जा रहा है। धन्यवाद!

09	श्री बुधराम	ग्राम–गेतरा	मैं ग्राम–गेतरा से बुधराम। बिश्रामपुर से आने–जाने के लिए बस लगे रहता है। नदी में पुलिया भी बन गया, पहले नदी में इतना पानी रहता था। नांव चढते थे तो बहा ले जाता था। अब पुलिया बन गया है, आने–जाने का साधन हो गया है। धन्यवाद!
10	श्री रामधन सिंह	ग्राम–पोंडी	मैं, रामधन सिंह, ग्राम– पोंडी से बोल रहा हूं। हम खदान खुलने से खदान में मजदूरी ठेकेदारी मजदूरी के हिसाब से मिलता है, गांव में जब जरुरत पडता है पानी तो टैंकर से पानी का वितरण होता है, जब जरुरत पडता है। बिमारी में आदमी फोन करने से एम्बूलेंस भी आ जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बस की सुविधा दिया जाता है। बस इतना ही। धन्यवाद!
11	श्री सहेश राम	ग्राम–गेतरा	हैलो! मैं ग्राम–गेतरा से सहेश राम बोल रहा हूं। जो साथी लोग को बोलना था वो तो बोल ही दिये। हम सब सहमत है। घर–घर में पानी भी दे रहा है, और जल छिडकाव भी करता है। एम्बूलेंस भी है और हैण्डपम्प भी दिये है और सबसे सुविधा बच्चें लोग सब स्कूल जाते है। सबको सुविधा बढिया से मिल जाता है एस.ई.सी.एल. से। मैं इतना ही बोलूंगा।
12	श्री भरत लाल सिंह	ग्राम–डेडरी	मैं, ग्राम पंचायत डेडरी से बोल रहा हूं, भरत लाल सिंह। सभी लोगों को जय सेवा! जय जोहार! हमारे एस.ई. सी.एल. से बहुत कुछ फायदा हो रहा है। बच्चों लोगों को स्कूल जाने में बस की सुविधा हो रही है और गांव में डाक्टर लोग ईलाज कैम्प द्वारा

			सप्ताह–सप्ताह में हो रहा है। जय जोहार।
13	श्री रायसिंह मानी	ग्राम–मानी	मैं, रायसिंह मानी, ग्राम पंचायत मानी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)। एस.ई.सी. एल. भूमिगत खदान खुलने से हम लोगों को रोजगार बहुत ही बहुत मिल रहा है और हम लोग के बच्चों को भी बस का सुविधा दी जा रही है और पानी का सुविधा दी जा रही है और गांव में कुछ भी समस्या पड जाने पर एम्बूलेंस का भी सुविधा मिल जाता है। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।
14	श्री बबलू सिंह	ग्राम–डेडरी सलका	मैं डेडरी सलका से बबलू सिंह बोल रहा हूं। बच्चें लोग के लिए बस पूरा मिल जाता है सुविधा,पानी भी दे रहे है।
15	श्री गोधन सिंह पोर्ते	ग्राम–मानी	सभी अतिथियों का और इस मंच में बैठे हुए मेरे गांव गली से आये हुए ग्रामवासियों, बडी सौभाग्य की बात है कि आज यह लोग सुनवाई ग्राम पंचायत पोडी के गोठान मैदान के बगल में हो रहा है। मैंने सभी गांव से आये हुए साथियों को सुना कि सभी समस्याओं का हल हो रहा है, लेकिन मेरे साथियों, मेरे किसान भाईयों, आप लोग समस्या सामने नहीं रख रहे है, बडे दु:ख की बात है कि एस.ई.सी.एल. खुले हुए आज 20–22 साल गुजर गया। लेकिन मेरे भाईयों मैं अपनी वाणी को बोलने से पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा,मेरा नाम गोधन सिंह पोर्ते, ग्राम पंचायत–मानी का रहने वाला हूं। आज एस.ई.सी.एल. के माध्यम से अरबो–खरबो रुपये बाहर चला जा

			रहा है। आज में, देखिये आप लोग देखते होंगे कि बिश्रामपुर चलने के लिए कितना कष्ट सहना पडता है, इतनी लम्बी–लम्बी गाडी, अगर आप मोटर सायकिल से जाईये तो दो मिनट सडक किनारे खडा रहना पडता है और हम लोग को छः महिना पहले अवगत कराया गया था कि, इसका चौडीकरण होने जा रहा है। लेकिन बरसात आ गया। चौडीकरण का पता नहीं चला, रोड किनारे गिट्टी व मुरुम गिराने का भी था, वो भी नहीं हुआ। बीच में हम लोग अधिकारियों को अवगत कराये थे। गेतरा कैम्प में, हम लोग को गर्मी के समय धूल–डस्ट से सामना करना पडता है, टैंकर के माध्यम से पानी सुबह–शाम दिलाया जाये वो भी गिने–चुने 10–15 दिन 01–02 बजे ही डाले हैं और मानी चौक में हर वर्ष गर्मी के समय प्याऊ की व्यवस्था किया जाता था। लेकिन 02 साल निपट गया वो भी व्यवस्था नहीं हुआ। एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों, साथियों आप सुने होगें, बस व्यवस्था, हास्पिटल चलित कैम्प व्यवस्था सब बता दिये, लेकिन हम लोग का ये निवेदन है एस.ई.सी.एल. के द्वारा एक अच्छा से अच्छा उप स्वास्थ्य केन्द्र मानी चौक में व्यवस्था हो, डी.ए.व्ही. जैसे स्कूल की व्यवस्था हो, जिससे जो 08–10 पंचायत के लोग परेशान होते है जिससे जो स्कूल भेजने के लिए परेशान रहते है वो व्यवस्था हो जाये, साथ में हर 10 किसान के खेत के बीच में ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, कुछ साथी बोल रहे थे कि पानी व्यवस्था हो रहा है, हम लोग मानी में

			कई आवेदन दिये कि लाईनपारा, बांधपारा में टैंकर के माध्यम से पानी पिलाया जाये। शुरुआत में 08–10 साल पहले 01–02 महिना दिया गया था, अब 03–04 साल के बाद एकदम जीरो और आवेदन के बाद ये भी आश्वासन दिया गया था कि फिल्टर के माध्यम से नदी के पानी से व्यवस्था कर के दिया जायेगा वो भी जीरो हो गया। तो सारी कई समस्या है, समस्या से हमको निजात दिलाया जाये, कुछ साथी बोले रोजी–रोजगार कम्पनी के माध्यम से ठेकेदारी में काम कर रहे है। लेकिन सभी साथियों को वो सब सुविधा नहीं मिल रहा है। तो सभी ग्राम पंचायत जो एस.ई.सी.एल. के दायरे में है। वे सभी ग्राम पंचायतों में एस.ई.सी.एल. द्वारा सर्वे करा कर कितने बेरोजगार युवा है, उन सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। बिश्रामपुर में भी जो प्रशिक्षण होता है। उसमें भी कुछ लेन–देन का सवाल उठता है। ऐसे में हमारे बेरोजगार साथी पिछड जाते है और जो एस.ई.सी.एल. के माध्यम से मानी, पोडी, गेतरा, सपकरा, जोबगा, लैंगा, खुटिया जितना भी नाम आया है और आज जो लोक सुनवाई के द्वारा मानी, पोडी, गेतरा, सपकरा, जोबगा, लैंगा, खुटिया में मुनादी कराना था। पंचायतों में, हर जगह मुनादी भी नहीं कराया गया,जिससे हमारे किसान तक ये बात नहीं पहुंचा, जिससे कि हमारे किसान भाई यहां आकर के अपना दुःख–सुख सुना सकते थे, गिने–चुने हमारे यहां जो जन प्रतिनिधि है। वहीं यहां अपनी

			उपस्थिति दिये है। मैं चाहुंगा कि जब भी लोक जन सुनवाई एस.ई.सी. एल. के माध्यम से हो तो मुनादी कराना बहुत ही अतिआवश्यक है। जिससे कि हमारे मजदूर भाई, किसान भाईयों तक बात जा सके। क्योंकि हमारे कई पीढी हमारे दादा परदादा इस ग्राम पंचायत में निवासरत थे और आने वाले समय में कई पीढी का उनका जीवन यापन होगा। एस.ई.सी.एल. एक दिन बिन भगाये हम लोग को भागना पडेगा। क्योंकि हम लोग को यह भी पता नही है कि अन्दर में कितना खोखला एस.ई.सी.एल. कर दिया है। साथ में एस.ई.सी.एल. के तरफ से 06 लाख, 08 लाख, 10 लाख का जो मुआवजा राशि है। उसको भी आज के समय को देखते हुए दिनो दिन महंगाई आज जो दस हजार रुपया महिना जो कमा रहा है। उसको आज महंगाई के मार में कुछ नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि मुआवजा राशि को भी बढाये जाने पर विचार किया जाये, ताकि हम एस.ई.सी.एल. से तो बेघर होंगें। ताकि हम अपना आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते है। पानी अगर हमारे किसान भाईयों को मिल जाये तो खेती के लिए उत्सुक रहेंगें। आप एस.ई.सी.एल. के अधिकारी/कर्मचारी गेतरा पंचायत में देखते होंगे कि जब से एस.ई.सी.एल. खुला तब से चारों ओर बंजर ही बंजर दिखाई देता है, लेकिन इस वर्ष गर्मी के समय में पानी कुछ निकाला गया तो कुछ प्लांट में हरियाली नजर आ रहा था। तो ये सब हमारे बीच में नही आना चाहिए, इसका विचार

			करना चाहिए। यही मेरा निवेदन, आशा और विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ।
16	श्री बाबूलाल	ग्राम–पोंडी	मैं, ग्राम पोंडी का निवासी हूं, मेरा नाम बाबूलाल है। मैं ठेकेदारी में जुडा हूं, तब से मैं बढियां जी–खा रहा हूं। अभी 523 रुपया दे रहा है फिर भी उसमें नहीं पूरेगा इतना महंगाई में। कुछ और बढाना पडेगा तब तो होगा। हम लोग का घर चलेगा। जय हिन्द, जय राम।
17	श्री सिंधू सिंह (पूर्व सरपंच)	ग्राम–पोंडी	मैं ग्राम पंचायत पोडी से सिंधु सिंह पूर्व सरपंच बोल रहा हूं। हमारे ग्राम पंचायत पोडी में भूमि अधिग्रहण की सूचना नहीं दी गई है एव हम लोगों को न पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न सडक की सुविधा है, यहां। सडक पर काफी कीचडों का सामना करना पडता है। यहां न तो शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। पिछले बार यहां एस.ई.सी.एल. के द्वारा कैम्प लगाया गया था। दवाई वितरण का, मैं शुगर का पेसेंट हूं शुगर की बिमारी का चेक करवाया तो उन्होने बताया कि हमारे पास शुगर की दवाई नहीं है, ऐसे हास्पिटल की हमें क्या जरुरत है। जब आपके पास शुगर का ईलाज नहीं हो सकता। यहां तक मेरी आंख में मोतियाबिन्द हुआ आकर के बिमारी को ठीक नहीं कर सकते। बहुत से भाई बोल रहे हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा कर रहें हैं एस.ई.सी.एल., हमारे ग्राम पोंडी में न बस की सुविधा है, न पानी की

			सुविधा है, न ही सडक की सुविधा है। हमारे ग्राम पंचायत में भू–अधिग्रहण की समस्या है। भू–अधिग्रहण, हम लोग को जानकारी तक नहीं दिया गया कि कितनी भूमि का भू–अधिग्रहण किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहूंगा कि हम लोग की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जरा ये भी बताने का कष्ट करेगें कि कितनी राशि का मुआवजा प्रति एकड में दिया जा रहा है। सुनने में आता है कि दो एकड। हम लोग की जनता की मांग है, पूरे ग्राम पंचायत की मांग है कि हमारे यहां की जनता की स्थिति–परिस्थिति को देखते हुए नौकरी की व्यवस्था किया जाये। पानी का बोलते है, पानी का भी व्यवस्था नहीं किये है। हम लोग कितना बेरोजगारी कितना झेलना पड रहा है, हम लोग खेती करते आ रहे है। आज हम लोग यहां से पूरा बस्ती उजड के चला रहा है। शासन ने राशि की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है, उस राशि को बढाने की कृपा करें तथा शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था।मैं अपनी बात का बता चुका कि मैं शुगर का ईलाज कराने आया था। लेकिन फिर भी मेरा ईलाज नहीं हो पाया। इससे मैं क्या विश्वास करु कि ये हमारे दवा कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है और हमारी भूमि अधिग्रहण की बात है, भूमि अधिग्रहण की सूचना दी जाये कि आप लोगों की भूमि का कितना भूमि अधिग्रहण किया गया है। उसका मुआवजा राशि कितना बनता है। विस्तृत जानकारी

			दिया जाये। इतना कह कर मै आपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।
18	श्री संतोष राजवाडे	ग्राम–मानी	मैं, संतोष राजवाडे। आज यहां पर आये हुए एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों एवं मेरे ग्रामवासी, माताऐं व बहनें, आप सभी को मेरा सादर प्रमाण। मेरा हमारे इस अंचल में एस. ई.सी.एल. बहुत दिनों से खुला हुआ है। हमारे इस आस–पास के ग्रामवासियों के लिए हमारे नजदीक में स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे बिश्रामपुर जाते है। गाडी में बहुत भीड होती है, इस रोड में कितना गाडी एस.ई.सी.एल.का कोयला परिवहन होता है। कई बच्चे का दुर्घटना हो चुका है। आप सभी अधिकारियों को मैं अवगत कराना चहाता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत मानी में अक्ष्छा स्कूल हो हायर सेकेण्डरी तक एस.ई.सी.एल. के माध्यम से और सवास्थ्य के लिए सूरजपुर, अम्बिकापुर जाना पडता है, तो इसके लिए भी मैं हमारे एस.ई.सी. एल. प्रबंधक महोदय जी को मैं चाहूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत मानी में एक अच्छा स्वास्थ्य का अस्पताल हो, जो कि हम रायपुर जाते है, अम्बिकापुर जाते है, वो सब ईलाज हो सके और हमारे आस–पास के जो उजाला व्यवस्था तत्काल हो, ताकि अंधेरे मे रहते है, हर मोहल्ला, बिश्रामपुर, सूरजपुर में जो नजर आता है जो चकाचक लाईट का उजाला, उस तरह हमारे आस–पास के गांव में होना चाहिए और हमारे आस–पास के सारे किसानों का जो जमीन आपके खदान एरिया में फंस

			रहा है, उनको एक अच्छा से अच्छा मुआवजा देने का कष्ट करे और हर जिस व्यक्ति का जमीन फंस रहा है। उनको एक उचित जगह, भवन, जिसका कुछ अंश नही बच रहा है, उस व्यक्ति के लिए यदि मकान कहीं पर उचित व्यवस्था हो, किसी भी स्थान पर तो आप मुहैआ कराते तो बहुत–बहुत आपका आभार व्यक्त होता। ऐसे–ऐसे कुछ लोग है जिनका जमीन तो फंस गया है, लेकिन मुआवजा पाने के बाद गांव के व्यक्ति अनाप–सनाप खर्च करता है। उदाहरण के लिए शराब पीकर पूरा अपना धन खपा देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छा उसके लिए मकान या जमीन हो तो उसके लिए वह पैसा सही उपयोग में हो सकता है। मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूं। आप सभी को मेरा सादर प्रमाण। धन्यवाद।
19	श्री कैलाश सिंह (उप सरपंच)	ग्राम–पोडी	आदरणीय एस.ई.सी.एल. महाप्रबंधक और एस.ई.सी.एल. के पदाधिकारी को मैं कैलाश सिंह, उप सरपंच, ग्राम पंचायत पोडी का सभी को जय जोहार। हमारे पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु सभी को जय जोहार। हम लोग यह चाह रहे है कि समीक्षा बैठक में हम लोग को बुलाया गया था कलेक्टर साहब, जी.एम. साहब। 17 से आप लोग भू–अधिग्रहण किये हैं हम लोग। ग्राम सभा में न ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव भी नही लिये। बिना सहमति का जो 17 में बतायें है 17 से जो है भू अधिग्रहण लिये है हम लोग। उतना दिन का जो है साल में 12 प्रतिशत ब्याज भी दिया जायेगा और नौकरी 02 एकड

			में दिया जायेगा। इसको हम कहते है कि 02 एकड से 50 डिसमिल में ही दिया जाये। ताकि छोटा–छोटा हमारे यहां किसान है। किसी के पास 50 डिसमिल जमीन है किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है, वो जायेगें कहां। 06 लाख, 07 लाख मुआवजा देते है, तो वह अपना घर ही बनाने में लगा देंगें, तो जियेंगे कैसे। आज हम दूसरे जगह जमीन खोजने जायेगें तो कितना में मिलेगा 14 लाख, 15 लाख।
20	श्री पुरुषोत्तम सिंह	ग्राम–गेतरा	**श्री पुरुषोत्तम सिंह –** सर, मैं रोजगार जांच के संबध में आपको आवेदन दिया था।सर मैं पूछना चाहूंगा कि कितना जांच हुआ है अभी तक। सर 26 फरवरी 1999 में ज्वाईनिंग आया था जिसके संबंध में जांच के आपके पास आवेदन दिया था। **एस.डी.एम–** नौकरी और मुआवजे के संबंध में बैठक हमारी बीच–बीच में होती रहती है, जो आप आवेदन दिये थे उसके माध्यम से जो पुराने रिकार्ड है जो जॉब और मुआवजा मिला था वो म.प्र. पुर्नवास जमीन के तहत मिला था। रिकार्ड खोजा जा रहा है। जितना जल्दी होगा कार्यवाही की जायेगी तथा एस.ई.सी.एल. प्रबंधक से भी बात हुई है वो आपको और भी स्पष्ट कर देंगें। **श्री पुरुषोत्तम सिंह–** सर जितना डाक्यूमेंट मांगा गया था आपके समक्ष दे चुका हूं। सर फिर भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।

			एस.डी.एम.– आपका डाक्यूमेंट प्राप्त हुआ है आपके साथ और भी साथी थे उनका डाक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। आगे कार्यवाही की जा रही है। श्री पुरुषोत्तम सिंह– सर, अभी तक जानकारी नहीं मिली है। कब तक जानकारी मिल जायेगी। एस.डी.एम.– जानकारी आपको हम लोग नियमित रुप से देते ही रहते है। प्रयास रहेगा कुछ दिनों में नयी बैठक कर जितने लोग का फार्म पूरा हो गया है, उतने लोग का हम बना के भेज देगें।
21	श्री सुरेन्द्र सिंह	ग्राम–जोबगा	श्री सुरेन्द्र सिंह– सर मैं, साहब से ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे गांव में पानी का सुविधा क्यों नहीं दे रहे है और बिजली का वितरण क्यों नहीं कर रहे है। एस.डी.एम.– आपका बात/आपत्ति नोट कर लिया गया है। श्री सुरेन्द्र सिंह– आप लोग नहीं करावा सकते है, सर। एस.ई.सी. एल. नीचे से पूरा खोद दिये है। क्षेत्रीय अधिकारी– आपका प्रश्न नोट किया जा रहा है जो भी प्रश्न आ रहे है सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात एस.ई.सी.एल. के जो प्रतिनिधि अधिकारी है, उसका जवाब लिखित में और मौखिक में यहीं पे और आज ही देगें।

			श्री सुरेन्द्र सिंह– कुछ तो सुनवाई नहीं हो रहा है, सर। क्षेत्रीय अधिकारी– प्रक्रिया के पश्चात एस.ई.सी. एल. के जो प्रतिनिधि अधिकारी है, उसका जवाब देगें। श्री सुरेन्द्र सिंह– बहुत धूल उड रहा है उसमें पानी सिंचाई नहीं हो रहा है। एस.डी.एम.– प्रक्रिया के पश्चात एस.ई.सी.एल. के जो प्रतिनिधि अधिकारी है, उसका जवाब देगें। श्री सुरेन्द्र सिंह– नहीं सर आप ही लोग बोले थे पानी का पूरा सुविधा देगें। एस.डी.एम.– अभी फिलहाल एस.ई.सी.एल. के संबंध में यहां चर्चा चल रही है। एस. ई.सी.एल. के जो प्रतिनिधि अधिकारी है, उसका जवाब देगें। आपकी आपत्ति लिख ली गई है। श्री सुरेन्द्र सिंह– आदमी पानी के बिना कैसे जिंदा रहेगा। पूरा खदान खोद दिया है निचे तरफ से तो कहां पानी मिलेगा।
22	श्रीमती फुलमती	ग्राम–गेतरा	मैं ग्राम गेतरा से हूं। एस.ई.सी.एल. प्रबंधन को मेरा नमस्कार। हमारे गेतरा गांव में भूमि बहुत बंजर हो गया है। फसल के लिए पानी की व्यवस्था किया जाये, ताकि हम अपना फसल कर सके और एस.ई.सी.एल. जब से खुला है तब से जो रोड बना है उसमें से 05 लोग और बचे है। उनको जल्दी नौकरी दिया जाये । हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे है, फसल नही हो पा रहा है।

23	श्री गणेश राम	ग्राम–गेतरा	मैं ग्राम गेतरा का हूं, मेरा नाम गणेश राम है। सन् 97 में खदान खुला। मैं सन 97 एवं 99 में अपना फाईल जमा किया आज तक नौकरी नहीं हुआ और चक्कर लगाते–लगाते मैं बूढा हो जा रहा हूं। आज तक भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है।
24	श्रीमती सोनामनी (सरपंच)	ग्राम–मानी	मेरा नाम सोनामनी है, मैं ग्राम पंचायत मानी की सरपंच हूं। एस.ई.सी.एल. विभाग से हमे सुविधा मिला है। स्ट्रीट लाईट, प्राथमिक शाला, सी.सी. रोड और पानी का भी जो ट्यूबवेल खोदा हुआ है, पानी का टंकी भी बना हुआ है, उससे भी हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। बाहर से भी डाक्टर लोग आते है, उससे दवाई मिल रहा है।
25	श्री शिव अग्रवाल	ग्राम–पोडी	मैं शिव अग्रवाल बोल रहा हूं। माननीय उपस्थित जो यहां पर उपस्थित जो जिम्मेदार लोग है उनसे मैं यह जानना चाह रहा हूं कि 2017 में जो अधिग्रहण ग्राम पोडी का किया गया। उसकी सूचना ग्राम पोडी में किसको दिये। हम ग्राम पोडी के निवासियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पोडी में 2017 में आप लोग जो भूमि का अधिग्रहण किये है। उसकी हमे कोई जानकारी नहीं है और न हम ग्रामवासियों को जानकारी है इसकी। तो किस प्रकार से अधिग्रहण कर दिये इसका। क्यों ग्रामवासी पोडी? उठिये,सब खडे हो जाईये, खडे हो जाईय, खडे हो कर बताईये कि आपको कोई जानकारी था? किसी भी ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं था। क्या लिखित में लेंगें आपत्ति मेरा आप,ग्राम पोडी के

			द्वारा जो लिखित में आपत्ति दी जा रही है, वो वहां पर दर्ज हो रही है,दर्ज हो रही कि नहीं हो रही है। और अभी भी एक निवेदन और है आप लोगों से 2023 में ग्राम पोडी मे जो एक्सटेसन आपने निकाला है खदान का। इसका कौन–कौन सा खसरा नम्बर वहां पर आप लोग ले रहे है इसकी भी जानकारी किसी ग्रामवासी को नहीं दी गई है। ग्राम पोडी में एक्सटेसन में कौन–कौन सा खसरा नम्बर है ग्राम पोडी के सरपंच के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया। उसमें भी उनको जानकारी नही दी गई। 02 महिना हो गया सूचना का अधिकार लगे।
26	श्रीमती मोहरमनियां सिंह (सरपंच)	ग्राम–पोडी	मैं ग्राम पंचायत, पोडी की सरपंच हूं, मोहरमनिया सिंह। भारत माता की, जय। भारत माता की, जय। जय जोहार। एस.ई.सी.एल.द्वारा प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाये। विकास कार्यो में शिक्षा व स्वास्थ्य कार्यो को सम्मिलित करें। धन्यवाद! मैं इतना कह कर अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिन्द, जय भारत।
27	श्रीमती अवधि बाई (पंच)	ग्राम–मानी	मैं अवधि बाई, ग्राम–मानी, बांधपारा का पंच हू। बांधपारा स्कूल का बाउण्ड्रीवॉल पूरा टूट गया है। कुछ का सुविधा नहीं है। न नौकरी मिला न मुआवजा मिला। आज हम बाल बच्च को कैसे पालेगें– पोसेगें। बहुत दिकक्त हो रहा है। हम लोग जाये बाहर, हाजरी काम करें और दुनियां के यहां आकर नौकरी करे। बडा परेशानी के बात है। कुछ चीज का सुविधा नहीं है। हमको नौकरी नही

			चाहिए, हमारा जमीन जस का तस रहना चाहिए। मुआवजा मिलेगा तो हमे हटा न दोगे। दुनियां के आदमी आ कर यहां राज कर रहे है और हम लोग को जंगल में हटा दे रहे है। आदिवासी के जमीन पूरा छीन ले रहे है। कुछ नहीं बच रहा है। माटी का कितना मोल रहता है, अभी यहां सस्ता में खरीद रहे है। पूरा सस्ता में खरीद ले रहे है। दूसरे जगह जमीन खरीदने में बहुत परेशानी होगी। बुर्जुग लोग तो गुजर गये, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, कमाने में। बांधपारा में एक भी नौकरी नहीं। पूरा देश नौकरी कर रहा है लेकिन बांधपारा में नौकरी एस.ई.सी.एल. में नहीं मिला। मानी में एक हास्पिटल चाहिए। नौकरी और हास्पिटल चाहिए।
28	श्रीमती राधा देवागंन	ग्राम–गेतरा	मैं ग्राम पंचायत, गेतरा से आई हूं। मेरा नाम राधा देवागंन है। हम लोग 26 साल हो गये इतना परेशान है न तो नौकरी, न तो मुआवजा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बताईये इतना बस्ती में 100 आदमी को भी रोजगार नहीं मिला है। चारों तरफ खदान है बीच में गांव है और पूरा जमीन एकदम बंजर पडी है, अभी बारिस कर सीजन है कोई जा के वहां देखें भी तो क्या हाल है, बताईये 06 महिना साल भर जीते तो थे मगर अब कैसे जिये। जिसके पास पैसा है वो तो घर बना लेगा और जिसके पास पैसा नही है वह कहां जायेगा। 26 साल हो गया लेकिन आज भी एस.ई.सी.एल. वाले कभी नही सुनते हम लोग का। चकक्र काटते–काटते परेशान हो गये है। इतने अधिकारी

			है कोई तो समझे, वहां गेतरा में जमीन लिये है इतना भी नहीं कर सकता कि 100 आदमी को भी नौकरी दे सके। इतना परेशान हो रहे है हम लोग।
29	श्री जितेन्द्र सिंह	ग्राम–जोबगा	मैं जितेन्द्र सिंह, ग्राम जोबगा से आया हूं। ग्राम पचायत जोबगा में मुआवजा व नौकरी का प्रोसेस चल रहा था। अभी एक महिना हो गया है अभी तक कुछ उसका अता–पता नहीं चल रहा है। प्रत्येक एकड में नौकरी दिया जाये। मुआवजा जो 10 लाख है, उसको 40 लाख किया जाये। जो 08 लाख है उसको 30 लाख किया जाये। जो 06 लाख है उसको 20 लाख किया जाये। जो जल का जो परेशानी है अभी कुछ दिन पहले खोदई भी हुआ है हरकटाडांड में वहां पानी को श्रोत ही नहीं मिल पाया है। वहां सूखा हुआ पडा है और बिजली का भी जो हुआ था। हाई मास्क लाईट का व्यवस्था किया जाये और हास्पिटल का व्यवस्था किया जाये और जिनका बी.डी.सी. बना हुआ है। उनको काम दिया जाये, रोजगार दिया जाये। बाहरी लोग आके यहां काम कर रहे है। हरकटाडांड में जो आने–जाने का रास्ता है। स्कूल के बगल में उसका हाईट किया जाये, जिससे आने–जाने में दिकक्त न हो।
30	श्री सत्तर	ग्राम–जोबगा	हैलो! मैं जोबगा से आया हूं, मेरा नाम सत्तर है। मेरा वह केतकी खदान में वन भूमि का पट्टा दिया गया था। 90 डिसमिल का उसको मै अभी आपत्ति कर रहा था। मेरा सामने इस जमीन में नौकरी नहीं मिलेगा। वन विभाग दिया है पट्टा। एस.डी.

			एम. साहब बोला कि मैं काट भी सकता हूं बना भी सकता हूं। अगर किसी को खाने के लिये दोगे और फिर छीन लोगे तो किसी का दिल दुखेगा कि न दुखेगा। फिर मैं क्या गलती किया कि यही एस.डी.एम. मेरेको सामनी–सामना बोला इसको दो–चार दिन के लिए डाल दो। यही सामने बैठा यही एस.डी.एम.था। मेरे को वहां बाउण्ड्रीवॉल के बाहर हटा के, वहां जाने पर घुसने नहीं देते है और रात में एस.ई.सी.एल. के पूरे कर्मचारी बाउण्ड्रीवॉल के बाहर घूमते है। ऐसा नही होगा किसी के मकान में टार्च मारे किसी के आंगन में टार्च मारे, ऐसा न चलेगा।
31	श्री बरन सिंह	ग्राम–जोबगा	हमरा एक बहुत भारी समस्या है। हमारे खेत में जो उपका (प्राकृतिक जल श्रोत) है वो हमारे खेत में था। खदान खुलने से वह उपका (प्राकृतिक जल श्रोत) सुख गया है। उससे दो फसल कमा रहा था, गर्मी का धान भी कमा रहा था। वो बहुत कम हो गया है। खदान खुलने से और भी कम हो जायेगा तो कमाई भी कम हो जायेगा तो हमे व्यवस्था का साधन दे। पूरा गर्मी रोपा हो रहा था और गेंहूं भी कमा रहे थे। तो हमे नौकरी दे । तो हमे एक एकड में या 50 डिसमिल में नौकरी दे, तभी बनेगा। जय हिन्द, जय भारत। बाकी व्यवस्था करना चाहिए।
32	श्री अजय सिंह पोर्ते	ग्राम– जोबगा	आज ग्राम पंचायत पोडी के इस पावन धरती पे आज लोक सुनवाई के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अधिकारीगण और न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय। मेरा नाम अजय सिंह पोर्ते है और मैं ग्राम पंचायत जोबगा का

			निवासी हूं। आज जो पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसकी जानकारी विलम्ब में ग्राम–पंचायत जोबगा, पोडी, गेतरा के लोगों को मिली, जिसकी वजह से आप यहां देख भी रहे होगें कि यहां जगह खाली है। क्योंकि पूर्व में सूचित जो है बहुत कम समय में दिया गया जो कि अधिकतर लोग उपस्थित नहीं है और यहां पर जोबगा, पोडी, गेतरा के जो निवासी है उनका जो समस्त ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है वहां के निवासी सभी लोगों का यह मांग रहा है कि जो छोटे किसान है सीमान्त किसान है, हमारे नौकरी के संबंध में जो मांग है। उसमें जो दो एकड का प्रावधान दिया है। उसमें हम सभी गांव वाले यह चाहते है कि यदि किसी परिवार का 50 डिसमिल जमीन है या 01 एकड जमीन है उस पर भी नौकरी प्रदान किया जाये। यदि इस फार्मूला का या ग्राम सभा का नियम का पालन करती है तो हम जो है स्वीकृति देने के लिए तैयार है। यदि ग्रामवासियों को 50 डिसमिल या 01 एकड में नौकरी नहीं दिया जायेगा तो हम पर्यावरणीय स्वीकृति देने में असहमत है। हम तीनों ग्राम पंचायत के लोग असहमत है। चुंकि पूर्व में सम्मनीय पूर्व डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार हमारे ग्राम जोबगा में आयी थी। उनके सामने भी एस.ई.सी.एल. के जो अधिकारी है। उनके सामने चर्चा हुआ था कि उसमे लिखित में खदान जो चालू होगी दो साल बाद उसमें जो है लिखित में जो है एस.ई.सी.एल. को

			ग्राम पंचायत को दिया जायेगा। हमारे ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था। जिसमें प्रत्येक मोहल्ले में जल उपलब्ध कराना है, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल के बिना कोई भी जीवन जी ही नही सकता है। एस.ई.सी.एल. जो बोला था कि हम 05 ट्यूबवेल का निर्माण करायेंगें। उसमें केवल 02 ट्यूबवेल हरकटाडांड में खोदई किया गया। जिसमें पानी भी अच्छे से नही निकलती है। 04 ट्यूबवेल अभी भी अप्राप्त है तो इस वादा पर भी एस.ई. सी.एल. द्वारा काम नहीं किया गया है, दूसरी बात उसमें यह दिया गया था कि जो गायत्री प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो पोडी, गेतरा और जोबगा के जो किसान है नौकरी और मुआवजा के लिए जिनकी भूमि अधिग्रहण किया गया है और पटवारी को उनकी ड्यूटी भी लगाया गया था। जो कि 01 महिने के अन्दर वो सर्वे कर के एस.ई.सी.एल. को वो सौंप देगें और 01 महिने बाद हम ग्राम पंचायत में सूचित कर देगें, चस्पा कर देगें, एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया था कि हम चस्पा कर देगें और वह आज भी डेढ महिना बीत गया। डेढ महिने बाद भी जो राजस्व निरीक्षक वो भी अपना काम नहीं कर रहे है। एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों का कहना है कि वो लोग हमें सौंपे नहीं है जांच करके। जब जांच कर के सौंपे नहीं है कि कितने किसानों का कितना जमीन अधिग्रहित हो रही है, तो हम कैसे नौकरी और मुआवजा दे सकते है। तो यहां पर लापरवाही

			कहा जाये, क्यों कि यह प्रशासनिक स्तर पर ही हो रहा है, क्योंकि आप हमारे अधिकारी है, सक्षम दण्डाधिकारी है, तो आप से निवेदन है कि आज इस पर्यावरण स्वीकृति में पोडी, गेतरा और जोबगा के जो नौकरी के लिये जो बताया गया था कि जोबगा में 170 लोग को, पोडी में लगभग 180 लोग को और गेतरा में जो है 40 लोग को नौकरी 01 महिना के भीतर निराकरण कर उनको नौकरी दे दिया जायेगा। लेकिन ये दिन पर दिन महिना गुजरते जा रहा है। हमको जो है, नौकरी और मुआवजा तीन ग्राम पंचायतों के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। तो इस तरह का जो है एक निश्चित समय सीमा में जो है। उनका निराकरण हो, यदि निराकरण निश्चित समय–सीमा में नहीं होती है तो सम्मानीय भारत के संविधान के अनुसार से जो है एस.ई.सी.एल. के प्रबंधन अधिकारियों के उपर भी कडी कार्यवाही होना चाहिए। मैं यहां पोडी के लोग, जो यहां गायत्री, पोडी के लोग जो हडताल किये थे, जोबगा में भी किया गया था, तो वहां वाले गांव वाले हडताल करते है तो एस.ई.सी. एल. के अधिकारियों द्वारा एफ.आई. आर. दर्ज किया जाता है। जो इस प्रभावित क्षेत्र के भू–स्वामी है जो अपने संवैधानिक हक के लिये लडते है तो किसी भी किसानों के उपर किसी भी युवाओं के उपर एफ.आई. आर. दर्ज न किया जाये। यदि एफ. आई.आर. दर्ज होती है तो उसका सम्पूर्ण जवाबदारी एस.ई.सी.एल. प्रबंधन की होनी चाहिए। इस बात

			को सम्मानीय एस.डी.एम., डिप्टी कलेक्टर महोदय, सम्मानीय तहसीलदार महोदय से मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्व में भी जितने आवेदन हम लोग दिये थे लिखित में ग्राम पंचायत जोबगा, पोडी एवं गेतरा के लोगों को उपलब्ध कराया जाये, तो आज इस विषय में सम्मानीय एस.डी.एम. महोदय जैसे कह रहे थे आज वो इसका जवाब देते है तो तीनो ग्रामवासी ये चाहते है कि ये लोग लिखित में एक–एक प्रति उपलब्ध कराया जाये। लिखित में हमको जवाब दे मौखिक में नहीं क्योंकि इनकी बातों पर विश्वास नहीं है क्योकि 23 साल पहले गेतरा में भमि का अधिग्रहण किया गया था। जिसमें अभी भी लगभग 40 लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। यदि आज से 23 साल पहले उनको रोजगार मिल जाता तो आज उनके बच्चे आई.ए.एस. ऑफसर रहते, डॉक्टर और इंजीनियर रहते। जो 23 साल का नुकसान जो गेतरा वासियों को हुआ है, वही नुकसान ग्राम पंचायत पोडी, जोबगा के किसानों को न हो, ऐसा हम सादर निवेदन करते है और आज के इस जन सुनवाई कार्यक्रम में जो किसान है उनकी ओर से मैंने बात को रखा और अपनी बात को भी मैंने रखा है, इस बात को विशेष ध्यान में रखा जाये कि हमारा जो 5 वीं अनुक्षेत्र है, उसमें ग्राम पंचायत जो भी प्रस्ताव पास करती है। उसको जो है एस.ई. सी.एल. माने, पेशा अधिनियम के अन्तर्गत जो भी नियम होता है और ग्रामवासी जो नियम पारित करते है।

			उसका पालन करने के लिए एस.ई.सी.एल. कम्पनी बाध्य हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
33	श्री संजय कुमार पैकरा	ग्राम–जोबगा	मेरा नाम संजय कुमार पैकरा है, मैं ग्राम पंचायत, जोबगा का निवासी हूं। मेरा कहना है महोदय,आप 5 वीं अनुसूची और पेशा एक्ट नियम का पालन करे। हम कोई भी चीज पूछते है तो आप मौखिक में जवाब देते है हमें आपका लिखित में जवाब चाहिए और चुंकि हमारे पास पैतृक जमीन बहुत ही कम है। इसलिए हम जो फैसला करें कि 01 एकड या 50 डिसमिल उसको अमल में लायें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द।
34	श्री दुर्गा प्रसाद राजवाडे	ग्राम–जोबगा	मैं दुर्गा प्रसाद राजवाडे, ग्राम पंचायत जोबगा। मेरा कहना यही है कि महोदय जी कि प्रत्येक एकड में ही नौकरी दिया जाये, काहे कि गायत्री प्रोजेक्ट ने ही हमारे हरकटाडांड और खुटनपारा को ही अधिग्रहण कर चुकी है, उसमें 01 एकड में ही 10 किसानों का जीवन यापन चल रहा है। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।
35	श्री आनन्द राम पैकरा (वार्ड पंच)	ग्राम– जोबगा	मेरा नाम आनन्द राम पैकरा, मैं ग्राम– जोबगा का वार्ड पंच हूं। एस.ई.सी. एल. दो खदान खुला है लेकिन खदान के मामले में कुछ नहीं किया है। गायत्री और केतकी खदान खुला है जिसमें कि गायत्री में 01 महिने के अन्दर एक किस्त दूंगा लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं किये। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

36	श्री बघोलन राम	ग्राम–पोडी	लोक सुनवाई में आये हुए सभी जन प्रतिनिधि और राजस्व अधिकारी एवं एस.ई.सी.एल. के अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं ग्राम पंचायत पोडी से बघोलन राम, मेरा राजस्व विभाग के अधिकारियों से निवेदन है हमने यहां के अगल–बगल के क्षेत्रों में जाके एस.ई.सी.एल. का जो एरिया है उसको देखा है, उस हिसाब से सारी सुविधाऐं उपलब्ध है, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभावित ग्राम पंचायत ऐसे है पानी पीने का श्रोत नहीं है, पानी पीने का श्रोत जो नीचे चला गया है, उसका लेबल नीचे चला गया है तो पानी पीने का सुविधा 24 घण्टा उपलब्ध होना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र जो है उसमें 24 घण्टा बिजली उपलब्ध रहना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसे युवा बेरोजगार और खेलने वाले बच्चे जो है। उनके लिए खेलने वाले मैदान सुरक्षित होना चाहिए, ताकि बाहर से लोग आकर खेलें और खेल का प्रदर्शन करे और उस खेल को देखकर भी हमारे यहां के युवा भी खेल सीख सके। मैं चाहूंगा कि एस. ई.सी.एल. के माध्यम से यहां पर अच्छा तरीके से सामुदायिक भवन बनवा दिया जाये। ताकि उसमें हमारे अतिथि जो बाहर से आये। उसमें ठहरने का व्यवस्था बढियां से किया जा सके। शौचालय का निर्माण हो, पानी का सुविधा हो और मैं महोदय से चाहुंगा कि हमारे यहां अगल–बगल में देखने से मिलता है कि देख लिजिए हमारे यहां से सूरजपुर 18 किमी. दूर है और यहां से 12–13 किमी. बिश्रामपुर दूर है,

			यहां जाने में, अगर मान लिजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का बिमारी अगर बढ जाता है तो इस टाईप का हास्पिटल भी हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। जिस क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. प्रभावित क्षेत्र है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां कई ऐसे व्यक्ति है जो अपने लडके को व्ही. आई.पी. स्कूल में पढाना चाहते है, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार एस.ई.सी.एल. एरिया में व्ही.आई.पी. स्कूल खोला गया है। उसी प्रकार का हमारे यहां प्रभावित एरिया में भी व्ही.आई.पी. स्कूल खोला जाये। यहां पर आने–जाने का सुविधा एस.ई.सी.एल. के माध्यम से एकदम साफ–सुथरा बनाया जाये। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
37	श्रीमती स्वाति सिंह (सरपंच)	ग्राम–जोबगा	मैं ग्राम पंचायत जोबगा की सरपंच बोल रही हूं और यहां पर उपस्थित अधिकारीगण, ग्रामवासियों को मैं प्रणाम करती हूं और यहां पर जनसुनवाई की संक्षिप्त बातों पर, मैं जिसमें कलेक्टर में भी लिखित में दे चुके है और एस.डी.एम. से भी इस बात पर पुनः चर्चा कर चुके है। उसी विषय में मैं पुनः इस बारे में चर्चा करुंगी कि पर्सनल सूची के अनुसार जैसा कि और भी बोल चुके है 5 वी. अनुसूची के अनुसार जंगल, जल, जमीन के बारे में चर्चा करुंगी, जैसे कि जल जो हम लोग का मूलभूत अधिकार है, जल, पानी पीने का अधिकार है और जमीन से संबंधित जो भूमि अधिग्रहण किये है। एस.ई. सी.एल. वाले उसपे मैं चर्चा करना चाहूंगी कि वे हमारे ग्राम पंचायत में इस विषय में न ही अनुमोदित

			करवाये और न ही हमारे पास कोई पुख्ता दस्तावेज है और वे यहां के एस.ई.सी.एल. भी खोल लिये, उसके बाद गाव वाले के भूमि अधिग्रहण के बाद नौकरी व मुआवजा की बात लिखित में हुई है। लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और इसमें जमीन के संबंध में और भी है कि आदिवासियों की जमीन को जो अधिग्रहित किया गया है, जैसे कि अन्य साहूकार भी अधिग्रहण कर लेते है और उनकी दु:ख और समस्या के मामले में उनकी जमीन को अधिग्रहण कर लेते है और ढाबा, दुकान आदि खोल के एसे कर के वे आदिवासियों के जमीन को अधिग्रहण कर लेते है। जोकि ग्राम पंचायत में अनुमादित भी नहीं कराये रहते है। इस विषय पर हमने चर्चा किये एस.डी.एम. साहब से इसको बन्द करवाने के लिए चर्चा किये, फिर भी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। अभी भी हमारे ग्राम पंचायत में आप जाकर देख सकते है, ढाबा खुला हुआ है वहां पर बच्चे पढने वाले है, उन लोगों को भी समस्या का सामना करना पड रहा है, वो गाडी वहां पर बेखौफ चलती है, अगल–बगल में पूरा गन्दगी फैला हुआ है बच्चों लोग को भी परेशानी होती है महिलाओं को भी समास्या होती है, पीने वालों को आप लोग तो अच्छी तरह जानते ही होगें कि वहां शराब पीने वाले महिलाओं को किस प्रकार से देखते है। बच्चों लोग को देखते है, वह कह नहीं सकते कि इस प्रकार से देखा जाता है। तो मैं चाहूंगी कि जल स्तर अगर नीचे

			चला गया है तो टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध करा सकते है और वन भूमि से जो भी पेड़–पौधों से जो भी प्राप्त होता है वो तो मिल ही रहा है। एस.ई.सी.एल. की सबसे विकट बडी समस्या है। नौकरी मुआवजा और मूलभूत जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति होनी ही चाहिए। ये मैं यहां के अधिकारीगण से कामना करती हूं और विषय में चर्चा भी करती हूं कि हमारे समस्या का समाधान अभी सामने में हमको मिल जायेगा और ढाबा में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो अभी तत्कालिन है अगर उसमें अगर समाधान करने कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा।
38	श्री संत सिंह	ग्राम–जोबगा	आज ग्राम पंचायत, पोडी में लोक सुनवाई में पहुंचे हमारे क्षेत्र के अधिकारी और क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के सभी एस.ई.सी.एल. के कर्मचारी, पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन और सभी माता एवं बहनों सभी लोग को आज मैं हृदय से, कामना करता हूं कि आज यहां एस. डी.एम.साहब आये है और आज समस्या निपटा के ही जायेगें। ऐसा मैं आप लोगों को आश्वासित करता हूं कि हम लोग लगातार आज लगता कि 20–25 साल हो गये, एस.ई.सी. एल. के बारे में याद दिलाने के बारे में और अभी तक समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने अधिकारीगण है निराकरण कर के यहां से जायेगें, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहता हूं कि यहां पर शिक्षा हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे जोबगा हो गया, चाहे

			केतका हो, चाहे गेतरा हो, चाहे मानी हो, चाहे क्षेत्र के सभी लोगों को शिक्षा के बारे में मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं कलेक्टर महोदय से मिलने गया और जी.एम. साहब से भी बात किये तो इस क्षेत्र में शिक्षा के बारे में जो जनजाति के लोग है। उनको शिक्षा किस तरह से आगे बढाया जाये उस पर भी चर्चा होगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसा योजना एक कोचिंग सेंटर खोल कर यहां के बच्चों लोग को आगे बढाया जाये, ताकि उनका आर्थिक उन्नति और शिक्षा का स्तर बढ सके। रोजगार के बारे में जो इस क्षेत्र में जो बी.टी.सी. कर लिये है और बी. टी.सी. करने के लिए जो दिये हुए है पर अभी तक उनको बी.टी.सी. नहीं लिये है, जो उनका 45 दिन का ट्रेनिंग होता है, ऐसा मेरे को लगता है कि जो एस.ई.सी.एल. है उनको यह तो रखना नहीं चाहती रोजगार में या तो काम देना नहीं चाहती है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस क्षेत्र के जितने युवा बेरोजगार है सभी लोगों को जो यहां स्थानीय है, उन लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाये। मेरा सभी अधिकरीण से निवेदन है। इसके बाद नौकरी और मुआवजा में सभी लोग ने बोल चुका है कि जो पोडी और जोबगा चाहे मानी हो या गेतरा जितना भी हमारा जमीन अधिग्रहण किये है, मैं चाहता हूं कि उस जमीन का तत्काल क्योंकि इसी विषय में मैं अभी केतकी खदान को करीब 01 सप्ताह ताला बन्द करके रखवाया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग ने भी आश्वासन

			दिये थे आप लोग इसको 01 महिने में निराकरण कर देगें, पर ये 05 तारीख का ड्यू दिया हुआ था। वो 05 तारीख को ड्यू नहीं हुआ, आप लोग 24 तारीख को जन सुनवाई के लिए रखा था, मैं चाहता हूं कि आज जो जन सुनवाई है उसको निराकरण कर के ही जाये। ताकि हम लोग को जो जितने नियम के तहत आता है कि नौकरी कितने में देना है, मैं तो जी.एम. साहब से उस दिन बात किया तो हम तो 40 डिसमिल में नौकरी देगें, अगर किसी का 40 डिसमिल जमीन आता है तो हम तो उसमें भी नौकरी देगें, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद आता लेबर का एस.ई.सी.एल. ने आज तक इसक्लिड और नॉन स्किल्ड उसपे जो मापदण्ड है जो वेतन का स्किल्ड और नॉन इसक्लिड में कितना देना है उसका पी.एफ. कितना कटता है और ई.पी.सी. कितना कटता है और इंश्यूरेंस, मैं चाहता हूं कि सभी जितना सारे लेबर बन के काम करते है, चाहे इस क्षेत्र के कोई भी हो, चाहे डेडरी हो, सपकरा हो, मानी हो, केतका हो, लांचा हो सभी उनका इंश्यूरेंस होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितना भी अन्डर ग्राउण्ड में घुसते है जो लेबर केटिगरी के है सभी का इंश्यूरेंस करवा के आप लोग वहां पे तभी हम कॉलरी में काम करेगें, ऐसा निवेदन है आप लोग से और जो यहां पर एस.ई.सी.एल. के माध्यम से जो एस.ई.सी.एल. कम्पनी है, जो एस.एम.एस. कम्पनी है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये एस.एम.एस. कम्पनी को इन्होने

			ठेका दिया है और ठेके पर वो वहां पर कोयला निकालने का काम कर रहे है और कोयला निकालने का काम, बेचता है एस.ई.सी.एल. ही पर कोयला निकालने का काम एस.एम. एस. कम्पनी करता है और उसे भी ये, रैली ग्रुप है जो एस.एम.एस. कम्पनी ने ये रैली ग्रुप को काम करने के लिए वहां पे जो लेबर कैटेगेरी के लोग है उनको दिया हुआ है। तो वहां भी मापदण्ड सही नहीं है। वहां पर सभी बाहरी लोग को रखा जा रहा है, हमारे स्थानीय लोग को नहीं रखा जा रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग को यहां पर जो प्रशिक्षण किये हुये है उनको पहले उनको वो नियुक्ति किया जाये, ऐसा मेरा निवेदन है, आप लोग से और हम लोग जो एस. ई.सी.एल. के माध्यम से चाहते है कि गांव का जो मूलभूत आवश्यकता है, उस मूलभूत आवश्यकता को कैसे पूरा करें, क्योंकि हम लोग का रोड भी यहां बहुत खराब पडा हुआ है। मैं कई बार उनको लिखित में दे चुका हूं अभी तक उनका निराकरण नही किया गया, क्यों कि एक जनजाति पण्डो समाज के लोग रहते है और वहां पे एक स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला और वहां पे डेली 100 गाडी चलती है, वहां पे इतना डस्ट होता है कि वहां पे हम लोगों को दुलर्भ हो गया है बैठना, क्योंकि भोजन नहीं करते बच्चे लोग वहां पे, दुलर्भ हो गया है, भोजन करना मतलब इतना स्थिति खराब हो गया है, इसलिए मैं एस.ई.सी.एल. को चाहता हूं जो मूलभूत आवश्यकता है।

			ग्राम स्तर पर उसको पूरा करे और मैं चाहता हूं कि जो केतकी खदान है, केतकी खदान को अधिग्रहण अगर कर रहे हैं, अधिग्रहण करने से पहले जन सुनवाई किजिए कि किसका जमीन कितना आ रहा है और जन सुनवाई के माध्यम से जिस मापदण्ड का है। एस.ई.सी.एल. का है चाहे सेंट्रल गवर्मेंट का है उसको सही निर्धारण करके ताकी सही मुआवजा हम लोग को मिल सके, क्योंकि हम लोग के विस्थापन के लिए व्यवस्था भी है। अगर आप लोग उठाना चाहते है तो हम लोग उठने के लिए तैयार भी है पर सही मुआवजा और नौकरी मिलना चाहिए, जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम लोग का गांव केतकी और एस.ई.सी. एल. को चालू नहीं करने देगें। ये मेरा निश्चित निर्णय है। सबसे पहले अभी जो गायत्री खदान जो चल रहा है। वहां पर करीब हमारे 150 परिवारों का पूरा जमीन बंजर पड चुका है। करीब 500 एकड जमीन बंजर पड चुका है। जमीन पड गया है उस जमीन में न धान होता है, न गेंहू होता है, न मक्का होता है, न उड़द होता है कुछ नहीं होता है, सभी जमीन पडत पड चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसका निराकरण करे। हमारे गांववासी सभी आयें है। यह सूनने के लिए कि हमको नौकरी व मुआवजा कब देगें। ये गायत्री खदान का। ये गायत्री खदान का जब तक निराकरण नहीं होगा, मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो केतकी खदान है, उसको उसी स्थिति में रख

			दें। जब तक इसका निराकरण नहीं होता। यह मेरा एस.डी.एम. साहब से भी कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुआ कि जानते है कि कलेक्टर साहब बोले मैं खुद जाउंगा, बन्द कराने के लिए, अगर मुआवजा व नौकरी नहीं देते है तो मैं खुद जाउंगा बन्द कराने के लिए। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग एस.ई. सी.एल. के लोग, सभी लोग आप जो यहां एस.डी.एम. साहब, जो पटवारी मैडम या आर.आई मैडम को बोले थे। वो सत्यापन करके लगता है कि सभी का जमीन लगभग–लगभग नाप लिये है, अगर कहीं पर त्रुटिवश है, किसी का जमीन अगर नहीं आ रहा है, तो पंचायत में बकायदे आप लिखित करवा दे। आप नपवाने को तैयार है और अगर कोई त्रुटि है कि मेरा जमीन नहीं नापा गया है, मेरा छूट गया है तो वहां पर आकर बकायदे ग्राम पंचायत में सचिव के माध्यम से ज्ञापन दे दिजिए और मैं पटवारी मैडम या एस.डी.एम. साहब को दूंगा और वहां पर फिर से नपाई करवाई जाये, ऐसा मेरा निवेदन है आप लोग से और मैं चाहता हूं कि जो एस.ई.सी.एल. है हमारे प्राथमिक पाठशाला में जो पण्डो बच्चे है। उनको एस.ई.सी.एल. भी उनको टेबल और कुर्सी दिये है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते है, आप लोगों से, अभी 02–04 दिन पहले हमारे प्राथमिक पाठशाला टेबल और कुर्सी दिये है। बच्चें लोग को बैठने के लिए, इससे पहले हम लोग हडताल

			किये थे, टयूबवेल के लिए तो हम लोग के लिए ट्यूबवेल खोदवाये। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एस.ई.सी. एल. की तरफ से पारदर्शिता होना चाहिए, आईए ग्राम पंचायत में बैठिए और हम लोग बैठ कर समस्या का निराकरण करेगें, कोई भी समस्या नहीं है, जो निराकरण नहीं होगा, मैं आप लोग को निश्चित आश्वासन देता हूं कि बैठ के जो भी समस्या हो हम लोग कोई पाकिस्तान के नहीं है, हम लोग यहीं के रहने वाले है, बैठ के कितना भी बडा समस्या हल हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग आईऐ, एस.डी.एम. साहब को भी बुला लिजिऐगा, बैठ कर अपन लोग बात कर लेगें कोई समस्या हो तो। ऐसा मैं अपने ग्रामवासियों को बात को रखते हुए और जो भी ग्रामवासी आये है, वो लोग अपनी बात को, और भी समय दे सकते है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बात नहीं रखेगें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आईए और अपनी बात को कोई समस्या है कोई दिक्कत है तो आप लोग रख सकते है। बस इतनी बात करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।
39	श्री दरोगा सिंह (भूतपूर्व सरपंच)	ग्राम–पोंडी	ग्राम पंचायत, पोडी की इस पावन धरा पर आज लोक सुनवाई के इस कार्यक्रम में हमारे विकासखण्ड के अधिकारी, एस.ई.सी.एल. के अधिकारी एवं कर्मचारीगण। आज जो जन सुनवाई का यह कार्यक्रम पूर्व 2015 से 2020 तक सरपंच रहने का सौभाग्य मुझे इस गांव में मिला था, निश्चित रुप से आज जो यहां आपत्ति यहां दर्ज हो रही है, यहां के ग्रामीण के द्वारा, पूर्व में 2017 में जो

			भू–अधिग्रहण हुआ, ग्राम पंचायत में कोई अनापत्ति माईन्स के द्वारा एवं अन्य विभाग के द्वारा नहीं ली गई, जो अभी कुछ ही 02–04 महिनों में हमारे ग्राम पंचायत और आम जन मानस को पता चला । ऐसे परिस्थिति में जो यहां पर ग्रामीण जन जो नौकरी और मुआवजे में जो मापदण्ड तैयार किया है उससे असंतुष्ट है, जो 02 एकड पर नौकरी, हमारे गांव में सीमान्त किसान निवास करते है, केवल नौकरी और मुआवजा में 20 प्रतिशत परिवार को ही रोजगार उपलब्ध हो पायेगा, जैसा हमारे पास प्रबंधन का आंकडा आया है, सूची जारी हुई है। उसमें निश्चित रुप से 20 परिवारों को लाभ मिलता दिख रहा है, 80 परिवार अपने घर और जमीन से बेघर होगें और मुआवजा की जो राशि है उस पर भी हमारे गांव ने आपत्ति दर्ज कराया है, निश्चित रुप से हमने अभी तक सी. एस.आर. मद के माध्यम से बहुत सारे वादे किये है, चाहे बिजली हो, सडक हो, कई आंदोलन किये हमारे जोबगा के भूतपूर्व सरपंच संत सिंह ने अवगत कराया, चाहे वह चक्काजाम का माध्यम हो, हमने लगातार 20 सालों से ऐसे कार्यक्रम माईन्स के अन्दर किये है और कितने मौखिक आश्वासन भी लिये है, मैं कुछ कार्यो के लिए एस.ई.सी.एल. को बधाई भी दूंगा, जो इस क्षेत्र में हमारे मागों को पूरा भी किये है, चाहे बस का मामला हो, चाहे गांव में किसी प्रकार सी.एस. आर. मद से कुछ काम की स्वीकृति हो जैसे–स्वास्थ्य शिबिर लगाना,पोषण आहार वितरण करना, इसके अतिरिक्त

			अभी पूर्व में इन्होने सौर उर्जा, 02 पम्प का भी स्वीकृति दिया, जो अभी पूर्ण होना बाकी है और अभी हमने कई पत्र प्रबंधन को लिखा है, जो प्रोसेस में है। खेल सामग्री से लेकर हमारे सरगुजा के नेतृत्व जो सरगुजा के लोक प्रिय त्योहार है ऐसे चिजों के लिए वाद्य यंत्र, विशेष रुप से यहां पर नौकरी और मुआवजा, जो यहां पर अभी क्रियेट हो रहा है मैं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण से अनुरोध करुंगा कि सरगुजा क्षेत्र पेशा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र है ग्रामसभा से सहमति कर बीच का रास्ता निकाला जाये, ताकि अधिक से अधिक हमारे छोटे सीमान्त किसानो को रोजगार प्राप्त हो सके। हमारे क्षेत्र में गायत्री और केतकी में जो ग्रेनवेल, एस. एम.एस. कम्पनी के द्वारा जो कार्य चलाया जा रहा है। उसमें भी हमारे युवाओ को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। जो बाहर के वर्कर यहां पर काम कर रहे है। मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है। मैं इतना कह कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

43

6. उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

7. परियोजना प्रस्तावक की ओर से **श्री चंदन चमन, प्रबंधक (खनन)** द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों

एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

यहां पर उपस्थित लोगों ने रोड के उपर जो बिन्दू रखा उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रोड का सर्वे कर लिया गया है, इसकी निविदा जारी हो चुकी है और जल्द ही इसका वर्क एवार्ड कर इसका कार्य चालू हो जायेगा। उसमें रोड की चौडाई वर्तमान से बढा कर 7.5 मीटर की जानी है और उसका डामरीकरण किया जाना है। यह कार्य आमगांव से लेकर छत्तीसगढ़ ढाबा तक किया जायेगा और इसकी प्रस्तावित राशि 25 करोड रुपये है। पीने के पानी की समस्या को लेकर मै यह बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आस–पास का जो क्षेत्र है, भूमि के अन्दर का जो स्टाटा है उसके अन्दर झुई मिट्टी पाई जाती है, जिससे स्टाटा का भू–जल तेजी से निचे चला जाता है, जिसके कारण भू–जल का स्तर कम हो जाता है, आस–पास के कई बोरवेल इसी कारण से फेल हो जाते है। शासन द्वारा आस–पास के कई क्षेत्र में जल पाईप–लाईन के माध्यम से पहुंचाया गया है और पहुंचाया जा रहा है, सभी ग्रामों में जल की सुविधा हेतु शासन के तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किये जाता है, उसे पालन करेगें। पेयजल की आपूर्ति हेतु बोरिंग ग्राम पंचायत के 02 गांवों में बोरहोल कराया गया है। गेतरा ग्राम पंचायत मे भी 02 बोरहोल कराया जायेगा और आने वाले दिनों में यहां सोलर संचालित पम्प लगाया जायेगा और यहां ओव्हर हेड टैंक की भी व्यवस्था की जायेगी। जोबगा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत हरकट्टा गांव में 01 बोरवेल कराया गया है जहां सबमर्सिवल पम्प लगाकर उसे चालू कर दिया गया है और ग्रामवासी उससे लाभान्वित हो रहे है। पेयजल की समस्या को और दूर करने के लिए एस.ई.सी.एल. समय–समय पर डेली टैंकर के माध्यम पेयजल की आपूर्ति विभिन्न गांव में की जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन द्वारा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न गांव में चलाया जा रहा है, शासन से मिलकर नियमानुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उचित कार्यवाही की जायेगी। कैम्प के माध्यम से नियमित रुप से एस.ई.सी.एल. स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना जारी रखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. शासन द्वारा संचालित स्कूलों के उत्थान हेतु स्कूल में डेस्क–बेंच का वितरण कर रही है। आने वाले दिनो में इन स्कूलों में आर.ओ. की व्यवस्था की जायेगी। उपरोक्त गांवों में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा निर्धारण भू–अर्जन, पुर्नवास, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्राधिकार एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जायेगा। संबंधित गावों की निजी भूमि के एवज में प्रभावित भू–स्वामी एवं आश्रितों को कोल इण्डिया पुर्नवास नीति 2012 के प्रावधानों के तहत रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय जिला पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना समिति के द्वारा लिया जायेगा। मुआवजा का निर्धारण नियमानुसार लार 2013 के तहत किया जायेगा। इस दिशा में राज्य शासन का सहयोग मिल रहा है। स्टेटमेंट 05 और 06 तैयार कर लिया जायेगा और सी.आर.सी.सी. तहत् और नियमानुसार कम्पनसेसन का भुगतान चालू कर दिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक के जवाब उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (रा0), द्वारा ग्रामवासियों के शांतिपूर्वक पर्यावरण जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया गया, ग्रामवासियों के द्वारा टीका टिप्पणी सुझाव प्रस्तुत किया गया। सड़क, पानी की इस गांव में समस्या है। इस पर भी पहल किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा भी सभी बातों को बताया गया, आने वाले दिनो में भी ग्रामवासियों की जो भी समस्या रहेगा। उसका निराकरण प्रशासन के द्वारा और परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से भी उसका हल करने का प्रयास किया जायेगा, निश्चित रूप से जो समस्या रहेगा, समय समय पर उसका हल किया जायेगा। आप सभी

लोगों ने पर्यावरण जन सुनवाई में सहयोग दिया, भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के साथ लगभग अपरान्ह **02:30** बजे अनुविभागीय अधिकारी (रा0), द्वारा लोकसुनवाई की कार्यवाही समापन की घोषणा की गई।

8. लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां **72** प्राप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान उक्तानुसार **39** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान आरम्भ से अन्त तक लगभग **1250** व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल **391** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)